(156)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः- श्री एस0एस0अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1264/तीन/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 के द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 376/2014-15

भुवान सिंह पुत्र श्री अम्बाराम
निवासी- रेवाडी तहसील व जिला - देवास (म.प्र.)
-- आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन

-- अनावेदक

श्री कमल सिंह आंजना अधिभाषक आवेदक

आदेश

(आदेश दिनांक 18/4/19 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 376/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम रेवाडी तहसील व जिला देवास में आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं

अधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 231, 232 रकवा क्रमशः 0.35 एवं 0.46 है0 स्थित जिसका कुल रकवा 0.81 है0 है। आवेदक भील जाति का है, आवेदक को ग्राम निमानिया तहसील व जिला देवास की कृषि भूमि कम दाम में मिल रहीं है इसलिये उपरोक्त कृषि भूमि को विक्रय करने का सौदा आवेदक ने क्रेता रमेशचन्द्र पिता बजेसिंह जाति कलौता निवासी ग्राम सुनवानी कराड तहसील व जिला देवास को रूपये 7,15,000 रूपये बीघा के मान से कुल 23,16000 रूपये में सौदा किया जाकर बयाना पेटे 21,0000 रूपये दिये जिसका इकरार नामा भी सम्पादित किया गया परन्तु प्रस्तुत इकरार नामे में त्रुटिवश वयाना पेटे 2,00,000 रूपये लिखे गये है। और कुल रूपये 6,65,000 रूपये लिखा गये थे जिसका उल्लेख आवेदक ने कथन से स्पष्ट कर दिया गया है निगरानी कर्ता अनुसूचित जाति का सदस्य है इसलिये उपरोक्त कृषि भूमि के विक्रय हेतु अनुमति बावत् आवेदन पत्र कलेक्टर देवास को प्रस्तुत किया गया। जिसपर कलेक्टर महोदय ने अनुविभागीय अधिकारी देवास को प्रतिवेदन हेतु प्रकरण भेजा और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संबंधित तहसील को जांच हेतु भेजा गया। संबंधित तहसीलदार द्वारा जांच करने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी महोदय को प्रकरण वापिस भेजा गया। और अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कलेक्टर देवास को अपने प्रतिवेदन के साथ भेज दिया गया। प्रतिवेदन में अनुविभागीय अधिकारी ने निगरानी कर्ता को अनुमति देने से सहमत होते हुये

प्रतिवेदन प्रस्तुत किया परन्तु कलेक्टर द्वारा फिर से पुनः जांच हेतु फिर से अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया गया। और फिर से पुनः जांच होकर कलेक्टर महोदय को प्रकरण वापिस हुआ। और कलेक्टर देवास द्वारा 05.08.2014 को आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अपील अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को प्रस्तुत की गयी जो अवधि बाह्य होने से अग्राह्य कर दी गयी। इसी आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4– कलेक्टर जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2014 की सूचना निगरानी कर्ता को नहीं दी गयी, और ना ही आदेश नोट कराया गया। ऐसी स्थिति में प्रथम अपील जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि में प्रस्तुत की गयी थी। इसके संबंध में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र संलग्न किया गया था। ऐसी स्थिति में परिसीमा के आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार किये बिना जो आदेश अपर आयुक्त द्वारा पारित किया गया है, वह न्यायदृष्टांत 2011 आर.एन. 220 उच्च न्या. 2014 आर.एन 420 उच्च न्या. ए.आई.आर 1987 एस.सी. 1353 तथा 1997 आर.एन. 345 उच्च न्या. के विपरीत होने से

स्थिर रखे जाने योग्य नही है। इसके अतिरिक्त आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के पश्चात् उसके पास पर्याप्त शेष भूमि बच रही है। जिससे उसका एवं उसके परिवार का जीवन यापन विधिवत् रूप से हो सकेगा। भूमि विक्रय का सौदा गाईड लाईन के अनुसार किया गया है, प्रकरण में कलेक्टर न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी प्रथम जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था। जिसमें भूमि विक्रय किये जाने की अनुशंसा की गयी थी। तब ऐसी स्थिति में पुनः दूसरा प्रतिवेदन बुलाये जाने का कोई आधार नहीं था। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा भूमि विक्रय करने के पश्चात् उसके पास शेष भूमि सर्वे क्रमांक 232 में रकवा 0.460 है0 भूमि शेष बचेगी ऐसी स्थिति में अपीलार्थी भूमिहीन नहीं होगा। उपरोक्त स्थिति में जो आदेश कलेक्टर जिला देवास एवं अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित किये गये है, विधिवत् एवं उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 376/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 एवं कलेक्टर जिला देवास द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2014 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एंव आवेदक को ग्राम रेवाडी तहसील व जिला देवास में स्थित भूमि सर्वे नं. 231 रकवा 0.35 एवं सर्वे नं. 232 रकवा 0.46 कुल सर्वे नं. 2 कुल रकवा 0.81

है0 भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती हैं। कि क्रेता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाईड लाईन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करे कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व अनुबंध के समय दी गयी अग्रिम राशि को कम करके) बैंक चेंक/बैंक ड्राफ्ट/नेंट बेंकिग से आवेदक के खाते में जमा की जावेगी परिणाम स्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर